basis of liquid fuels, a decision has been taken to permit the IIPs who have been given the linkage by Ministry of Petroleum and Natural Gas, to import Naphtha on their own subject to actual user condition and compliance with the procedure prescribed.

गुजरात में जाली और बेनामी पेट्रोल पम्पों पर मारे गए छापे

1958. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार और केन्द्र सरकार ने राज्य में बेनामी और जाली पेट्रोल पम्पों पर छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो जिला-वार ऐसे कितने छापे मारे गए और कितने बेनामी और जाली पेट्रोल पम्पों का पता चला;

(ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ऐसे पेट्रोल पम्पों के मालिकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू): (क) से (ङ) गुजरात सरकार के नागरिक पूर्ति प्राधिकारियों द्वारा मारे गए छापों के दौरान देवड़ा चौकड़ी (जिला खेड़ा) में जय अंबे पेट्रोलियम के नाम और अभिनाम वाले एक अनधिकृत खुदरा बिक्री केन्द्र का पता लगाया गया, जिसे किसी भी तेल कंपनी द्वारा पेट्रोल और डीजल की पूर्ति नहीं की जा रही है। नागरिक पूर्ति प्राधिकारियों ने इसका लाइसेंस 60 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। परन्तु, गुजरात उच्च न्यायालय ने 1996 के आदेश संख्या 1189 के द्वारा नागरिक पूर्ति प्राधिकारियों के आदेश के विरुद्ध रोक लगा दी थी। ऐसे मामलों में कार्रवाई अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जारी नियंत्रण आदेशों के अनुसार की जाती है।

कच्चे तेल पर कराधान

1959. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की उत्पादन लागत विश्व स्तर पर उत्पादन लागत की तुलना में कम है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा देश में कच्चे तेल पर विभिन्न स्तरों पर कराधान किया हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले उद्योगों से कौन कौन सा कर किस किस स्तर पर और कितनी-कितनी दर पर वसूल किया जाता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू): (क) और (ख) जी, हां। ओ एन जी सी/ओ आई एल द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन की औसत लागत वर्ष 1995 के दौरान प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन की औसत लागत से कम है। तथापि हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों द्वारा अनुपालन की गई लेखाविधि और लागत वर्गीकरण की परिपाटियों में भिन्नताओं के कारण यह तुलना पूर्णतः समान न हो।

(ग) और (घ) कच्चे तेल का उत्पादन निम्नलिखित उद्ग्रहणों के अध्यधीन है:

(1) अपतटीय और तटीय कच्चे तेल के उत्पादन पर रायल्टी क्रमशः केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को 578 रुपये मीट्रिक टन की दर से संदेय है।

(2) 900 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से कच्चे तेल पर उपकर केन्द्रीय सरकार को संदेय है।

(3) बीजक मूल्य पर 4 प्रतिशत की दर से बिक्री कर, जहां लागू हो, राज्य सरकार को संदेय है।

(4) आयकर अधिनियम में निर्धारित दर से निगम कर-कच्चे तेल की उत्पादनकर्ता कंपनियों द्वारा उनकी कर योग्य आय पर केन्द्रीय सरकार को संदेय है।

तथापि निजी क्षेत्र/संयुक्त उद्यम करारों के अंतर्गत कच्चे तेल के उत्पादन के लिए लागू उद्ग्रहणों की दरें वे हैं जिनका प्रावधान संबंधित उत्पादन हिस्सेदारी ठेकों में किया गया है।